

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत

सहायक कलेक्टर

(S.O.) इलाहाबाद

श्यामसुंदर

नियम

सरकार

बनाम

किस्म मुकदमा

88/2018 O.C.

नं.

99

सन् 20/0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

7/6/18

पत्रावली श्याम सुन्दर लोक अदालत केम्प रायल में घोषा हुई। जारी में बाद पत्र वेरा वर जाहिर बिपां की जसिये पंजीकृत विक्रप विषय दि. 6/1/18 को सलमप ने स्वातेदार श्यामसुन्दर पुत्र पद्मसुन्दर के शही स. न. 204 र. न. 26-14 कीया स्वरीद की शही स्वरीद करते स्वत जैयाननामा में जारी का राही नाम श्यामा राम पुत्र साधुराम के स्थान पर सोमसुन्दर पुत्र साधुराम दर्ज कर दिया. इन कारण जारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है. नवे में जारी में श्यामा राम पुत्र साधुराम दर्ज है. श्यामा राम पुत्र साधुराम दर्ज है. श्यामा राम पुत्र साधुराम दर्ज है। जिसको सुकस्त करना अन्यायित में आवश्यक है। जारी रेकर्ड सुकस्त हो सके। पत्रावली व पत्रावली में सलमप स्वातेदार श्यामा राम पुत्र साधुराम का

श्यामसुन्दर

(जयसुन्दर राम)
 पीएसडी अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट केम्प-2018
 उपसहय अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 इलाहाबाद केम्प-2018

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

2018/11/18

अवलोकन व प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार
वादी श्यामा राम के पान मसखंड
मिथे जे।

बाद जोर माफिक इलाक़ा
वादी का बाद रबीकार भ्रष्टा
जाता है। डीडी पत्नी जारी है।

फ़ासली प्लेन सुधार क्षेत्र
दाखिल दफ़तर है।

स्वीप आप राफ़्त लोक
अदालत कैम्प राफ़त में सुनाया
अप।

(मार्गस्थ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतस कैम्प.....राफ़त